नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण
(जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)

NARMADA CONTROL AUTHORITY
(Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Govt. of India)

जय हिन्द

संख्या : ननिप्रा / सी–लेखा / सी.ए. / 85 / 2016–17 / 1671-1674 दिनांक 12-5-2017

निविदा आमंत्रण सूचना

सदस्य (विद्युत), ननिप्रा की ओर से निम्नलिखित संदर्भित शर्तो के अंतर्गत ऐसे अनुभवी चार्टर्ड लेखाकारों, जिनके पास न्यूनतम पॉच वर्ष का प्रेक्टिस करने के अनुभव के साथ वैध प्रमाण पत्र हो तथा परामर्शदात्री सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए जो इन्दौर में स्थापना अनुभाग रखे हो, से मुहरबंद निविदाएँ आमंत्रित करते हैं ।

संदर्भित शर्ते

1. वार्षिक लेखों (2016–17) को तैयार करना जिसे नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की वित्त अनुभाग द्वारा दी गई जानकारियों / इनपुट के साथ दी गई विभिन्न अनुसूचियों एवं विवरणों के आधार पर तैयार किया जाना है, जैसा कि केन्द्र सरकार के गैरलाभकारी संस्थाओं के लिए अनुमोदित प्रपत्र में बनाया जाना अपेक्षित रहता है, इसमें निम्नलिखित लेखे शामिल होंगे :–

अ. प्राप्ति एवं भुगतान लेखे
ब. आय एवं व्यय लेखे
स. तुलनात्मक प्रपत्र
द. बैंक समाधान

उपरोक्त कार्य किए जाने के लिए न.नि.प्रा. का वित्त अनुभाग एजेन्सी के परामर्शदाता को निम्नलिखित इनपुट / दस्तावेज उपलब्ध करायेगा :–

(क) मासिक शेष परीक्षण (Monthly Trial Balance)
(ख) सभी सम्बंधित खाते
(ग) सावधि जमा रसीदों एवं अन्य प्रतिभूतियों एवं सम्पत्तियों से संबंधित लेखे सहित रोकड़ बही एवं बैंक लेखा पुस्तिका
(घ) सभी बैंको के विवरण पत्र
(च) अन्य संबंधित अन्य पुस्तकें एवं दस्तावेज

न.नि.प्रा. उक्त कार्यो को करवाने के लिए कम्प्यूटर एवं उसके सहायक सभी उपकरणों को उपयोग में लिए जाने की सुविधा प्रदान करवाकर देगा चूँकि उक्त कार्य न.नि.प्रा. कार्यालय के परिसर में (नर्मदा सदन, इन्दौर) रहकर ही पूर्ण करने होंगे ।

निरन्तर—2—

नर्मदा सदन, सेक्टर–बी, स्कीम नं. 74 सी, विजय नगर, इन्दौर–452 010 (म. प्र.)

Narmada Sadan, Sector-B, Scheme No. 74-C, Vijay Nagar, Indore-452 010 (M.P.), INDIA

स्वच्छ सुरक्षित जल–सुन्दर खुशहाल कल
CONSERVE WATER - SAVE LIFE

वित्त अधिकारी / Finance Officer — टेलीफैक्स : 0731–2551429
उप निदेशक (प्रशा.) / Dy. Director (Adm.) — टेलीफैक्स : 0731–2557888
उप निदेशक (त.स.) / Dy. Director (TC) — फोन : 0731–2552172, टेलीफैक्स : 0731–2552172
सहायक अभियंता (सम्पर्क) / Asstt. Engineer (Lia.) — फोन : 0731–2557233, फैक्स : 0731–2575749
Web Site : www.mowr.gov.in | www.nca.gov.in

निर्बन्धन एवं शर्तें

(i) निविदा दिनांक 23 मई, 2017 को अपरान्ह तीन बजे तक या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के पास पहुँचना आवश्यक है, प्राप्त निविदा उसी दिन अपरान्ह चार बजे निविदाकर्ताओं के अधिकृत प्रतिनिधियों (जो निविदा खोले जाने के समय उपस्थित होने का इरादा रखते हों) के समक्ष खोली जानी निर्धारित है ।

(ii) निविदा में उल्लेखित दरों में सभी सम्बद्ध खर्चे जैसे व्यक्ति एवं सामग्री, परिवहन से संबंधित देय शुल्क/पारिश्रमिक, कर एवं शुल्क यदि कोई हो, को सभी पूर्ण रूप से शामिल करके प्रस्तुत की जावे और अलग से किसी अन्य राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा ।

(iii) कार्य कार्यआदेश जारी किए जाने की तारीख से 21 कार्यदिवसों के अन्तर्गत पूर्ण करके देने होंगे । लेखाकरण अनियमितता, यदि कोई एजेन्सी द्वारा कार्य किए जाने के दौरान जानकारी में आती है तो उसे वित्त अधिकारी /लेखा अधिकारी की जानकारी में लाना होगा, साथ ही उसको दूर करने के लिए प्रयोग में लिए जाने वाले सुधारात्मक उपाय/सुझावों को भी बताना होगा ।

(iv) न.नि.प्रा. के वार्षिक लेखे लेखा परीक्षा के महानिदेशक, नई दिल्ली द्वारा किए जाने वाली लेखा परीक्षा के अध्याधीन है, इसलिए एजेन्सी के लिए बाध्यकारी हो जाता है कि वह आए लेखा परीक्षा दल को (यदि आवश्यक हो जाए) वित्त अधिकारी/अधिकारी प्रभारी से इस संबंध में ऐसी सूचना प्राप्त होने पर उस दल को लेखों के संबंध में स्पष्ट कर दें । यदि आवश्यक हो तो एजेन्सी को उस संबंध में आवश्यक सुधारात्मक सुझाव भी देने होंगे जिससे वार्षिक लेखों की परिशुद्धता (Accuracy) तथा उसके सभी सहायक विवरण पत्र एवं अनुलग्नक लेखा परीक्षा दल के मापदण्डों/दिशा निर्देशानुरूप तैयार हों । इस हेतु एजेन्सी को उक्त लेखा संबंधी कार्यो के लिए अलग से कोई भुगतान नहीं किया जावेगा ।

(v) इस कार्यालय को सभी विवरण एवं अनुलग्नक सहित वार्षिक लेखों की सुपुर्दगी दी जायेगी, जो दो हार्डकॉपी की शक्ल में एवं सी.डी. की शक्ल में दो सॉप्टकापी उपलब्ध करानी होगी ।

(vi) किए गए कार्य का संतोषजनक ढंग से पूर्ण कर लिए जाने के पश्चात एवं कार्य को प्रस्तुत किए जाने के स्तर पर पाए जाने के पश्चात बिल भुगतान की प्राप्ति पर बिल में दर्शायी राशि का 90 प्रतिशत राशि का भुगतान एकाउन्ट पेइ चेक के माध्यम से कर दिया जायेगा तथा शेष 10 प्रतिशत राशि का भुगतान एकाउन्ट पेइ चेक के माध्यम से जब कर दिया जायेगा जैसे ही वार्षिक लेखों के संबंध में महालेखाकार द्वारा इन लेखो की स्वीकृत किए जाने के संबंध में पृथक से लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त हो जायेगी ।

(vii) प्रस्तुत किए कोटेशन के लिफाफे के बाहर कार्य का नाम "वार्षिक लेखे 2016–17 के संबंध में परामर्शदात्री सेवाओं के संबंध में कोटेशन" और उस कोटेशन के खोले जाने की तारीख का उल्लेख किया जावे ।

(viii) विभाग को कोई कारण बताए बिना किसी भी या सभी कोटेशनों को अस्वीकृत करने का अधिकार है तथा इससे कोटेशनकर्ता को हुई आर्थिक क्षति की भरपाई करने का न.नि.प्रा. का कोई दायित्व नहीं होगा ।

(signature)
वित्त अधिकारी

प्रतिलिपि:

1. सदस्य (विद्युत) के निजी सचिव, ननिप्रा, इन्दौर ।
2. सचिव के निजी सचिव, न.नि.प्रा., इन्दौर ।
3. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, न.नि.प्रा., इन्दौर । (ननिप्रा की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु)
4. कार्यालय सूचना पट्ट ।